न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या : 40/2024(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO : 2024/38

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरिराम खटीक पिता श्री छगनलाल खटीक विक्रेता एवं मैसर्स मार्शल केफै केबिन न. 29 मुम्बईया बाजार फतेहसागर उदयपुर। स्थाई पता– पुनावली पो. गोगुन्दा हाल C/O श्री पुरूषोत्तम माली, सीपीएस स्कूल के पास, पंकज नमकीन के पास, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर। मो. 8769742274
2. श्री विकेश चौहान पिता श्री हरीश चौहान, मालिक मैसर्स मार्शल केफै केबिन न. 29 मुम्बईया बाजार फतेहसागर उदयपुर। स्थाई पता– 1013 न्यू भोपालपुरा 10 फिट रोड, खारा कुआ गिर्वा उदयपुर। मो.न. 7737296248।

–विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. श्री सुखराम डिडेल अधिवक्ता विपक्षीगण।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 28.08.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/ 727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 18.02.2024 को 02.00 पी.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स मार्शल केफै केबिन न. 29 मुम्बईया बाजार फतेहसागर उदयपुर पर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

पहूँचा, वहॉ विपक्षी श्री हरिराम खटीक उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स मार्शल कैफे केबिन न. 29 मुम्बईया बाजार फतेहसागर उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय विक्रेता अपने कियोस्क(केबिन) पर मोमोस फ्राईड, डौसा इत्यादि बनाकर आम जनता को विकय का कार्य करता है। यहां स्टील के एक डोंगे में करीब 2 किलोग्राम फ्राईड मोमोज (80नंग) आम जनता को बिकी वास्ते रखे पाये। पूछने पर विकेता ने इसे मैदा, पतागोभी, शिमला मिर्च, प्याज, लहसून, गाजर, हरा धनिया, हरिमीर्च, रिफा–सोयाबीन तेल, गरम मसाला से निर्मित होना बतालाया तथा एक फ्राइड मोमोज का वजन 25 ग्राम होना बताया। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये फ्राईड मोमोस 2 किलोग्राम फ्राईड मोमोस के (80 नंग) वास्ते जॉच हेतु खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। क्रय शुदा फ्राइड मोमोस की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 800रू. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा 2 किलोग्राम फ्राईड मोमोस को विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में प्लास्टिक के 4 साफ, सूखे व खाली जारों मे बराबर मात्रा मे भरकर फार्मेलीन की 40 बूंद प्रत्येक जार में डालकर इनका मूँह ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक जार पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर **ए.ए–2586** का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो के जार पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो के जार पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/1584 दिनांक 11.03.2024 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/54/एक्ट/2024/54 दिनांक 26.02.2024 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना मठरी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड पाया गया

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

क्योंकि Butyrorefractometer reading at 40 C 58.5-68.0 होना चाहिए था, कि जगह 49.88 पाया गया एवं Iodine value 120-141 होना चाहिए था, कि जगह 39.64 पाया गया। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/1583 दिनांक 11.03.2024 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक मु.चि.अ./एफ.एस.एस.ए./2024/3699 दिनांक 19.06.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी मय अधिवक्ता ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी मुम्बईया बाजार फतहसागर उदयपुर स्थित केबिन नम्बर 29 पर खाद्य पदार्थ को विक्रय कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। विपक्षी बाजार से विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री खरीद कर मोमो बनाकर विक्रय करने का कार्य करता है तथा सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एफएसएसएआई के नियामकों मानको को ध्यान में रख कर ही खरीदता है और मोमो बनाता है। विपक्षी की दुकान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.02.2024 को मोमोज का सेम्पल लिया था जिसकी सार्वजनिक स्वास्थ प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.02.2024 को बनायी गई जिसमें मोमोज को सब स्टैण्डर्ड मान कर कार्यवाही की गई। विपक्षीगण द्वारा विक्रय किये जा रहे प्रत्येक खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा मानको को ध्यान में रख कर ही मोमोज बनाकर विक्रय करता है तथा विवक्षी द्वारा अनजाने में ऐसा कोई खाद्य पदार्थ लेने से सब स्टैण्डर्ड मोमोज मिले है जिसके बारे में विक्रेता अनजान अनभिज्ञ हैं जान बुझकर किसी प्रकार की कोई गलती विपक्षी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की है तथा विपक्षीगण की प्रथम बार एसा प्रकरण बना है। विपक्षीगण इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है इसलिए गरीब व्यक्ति ठेला/केबिन से अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करता है जिसे ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय पारित किया जावे तथा आप द्वारा जो भी पेनाल्टी राशि बतायेगे विपक्षीगण उसे जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण आप न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है इसलिए इस प्रकरण को इसी स्टेज पर निर्णित किया जावे जो भी पेनल्टी होगी विपक्षी जमा कराने को तैयार है इसलिए आज ही प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विक्रेता अपने कियोस्क(केबिन) पर मोमोस फाईड, डौसा इत्यादि बनाकर आम जनता को विक्रय का कार्य करता है। यहां स्टील के एक डोंगे में करीब 2 किलोग्राम फ्राईड मोमोज (80 नंग) आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये। पूछने पर विक्रेता ने इसे मैदा, पतागोभी, शिमला मिर्च, प्याज, लहसून, गाजर, हरा धनिया, हरिमीर्च,, रिफा–सोयाबीन तेल, गरम मसाला से निर्मित होना बतालाया तथा एक फ्राइड मोमोज का वजन 25 ग्राम होना बताया। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये फ्राईड मोमोस 2 किलोग्राम फ्राईड मोमोस के (80 नंग) वास्ते जॉच हेतु खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया, **क्योंकि Butyrorefractometer reading at 40 C 58.5-68.0 होना चाहिए था, कि जगह 49.88 पाया गया एवं Iodine value 120-141 होना चाहिए था, कि जगह 59.64 पाया गया।**

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी आर्थिक दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

चूंकि प्रकरण मे आरोपी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपीगण को संयुक्त रूप से कुल राशि ₹ 50,000/–रु अक्षरे रूपया पचास हजार मात्र के आर्थिक दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)
उदयपुर